भारत सरकार

# जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

## निर्गम - परिणाम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क दस्तावेज: 2017-18

मांग सं. 98

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

**स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18**

**मांग संख्याः 98 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय**

**(करोड़ रुपए)**

| क्र. सं. | स्कीम/उप-स्कीम का नाम | | वित्तीय परिव्यय 2017-18 (ब.प्रा.) | परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं | अनुमानित मध्यावधि परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| **केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें** | | | | | |
| 1 | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम | 5000.00* *नबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण | 31 बड़ी/मझोली सिंचाई परियोजनाओं का काम पूरा | 12.95 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के उपयोग से फसलों की पैदावार किसानों की आय में वृद्धि, भू-जल के भराव में वृद्धि और अन्य प्रयोगों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ी। | |
| 2 | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी | 1450.00<br>4020.00*<br>*नबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण | • 20 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता के उपयोग के लिए कमान क्षेत्र और जल-प्रबंधन का कार्य पूर्ण<br>• भूतल लघु सिंचाई क्षमता का सृजन - 0.40 लाख हेक्टेयर<br>• जलाशयों की मरम्मत, संरक्षण और जीर्णोद्धार का कार्य पूरा करके 0.30 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन।<br>• भू-जल के इस्तेमाल से 0.50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन | सीएडी कार्य और एआईबीपी कार्य साथ-साथ किए जाने का प्रस्ताव है। स प्रकार सुनिश्चित सिंचाई के तहत क्षेत्रफल में वृद्धि से<br>(i) उपज<br>(ii) किसानों की आय<br>(iii) भू-जल की उपलब्धता<br>(iv) अन्य उपयोगों के लिए जल की उपलब्धता<br>(v) जल के उपयोग की दक्षता बढ़ेगी। | |
| 3 | बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम | 150.00 | महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्यों, क्षरण-रोधी कार्यों, जल-निकासी विकास कार्यों और समुद्र-क्षरण रोधी कार्यों का निष्पादन। | बाढ़, नदीतट क्षरण, तटीय-क्षरण और चुनींदा नदी जलग्रहण क्षेत्रों में तलछट क्षरण के कारण क्षति में कमी। | |
| | **उप-जोड़ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें** | **1600.00 + 9020.00 नबार्ड से ऋण** | | | |
| **केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें** | | | | | |
| 4 | नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्य | 199.96 | (i) पीडीए द्वारा संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और पंचेश्वर के लिए निर्माण-पूर्व कार्य शुरू करना।<br>(ii) बहु-उद्देश्यीय परियोजना सनखोसी मार्ग परिवर्तन- | • बार-बार बाढ़ आने की समस्याओं का कम होना।<br>• अंतर्राष्ट्रीय नदियों में जल संसाधनों की क्षमता का आकलन<br>• बाढ़ की बेहतर पूर्व-चेतावनी।<br>• पंचेश्वर बहु-उद्देश्यीय परियोजना की डीपीआर से परियोजना के कार्यान्वयन और निर्माण -पूर्व कार्यों के लिए कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी। | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | सह-भंडारण योजना और कमला बांध परियोजना सहित सप्रकोषी उच्च बांध के लिए जेपीओ द्वारा डीपीआर तैयार किया जाना।<br>(iii) जलीय पर्यवेक्षण जारी रखना और पड़ोसी देशों से बाढ़ एवं संबंधित डाटा संप्रेषण।<br>(iv) साझा/सीमा नदियों पर विकास कार्य<br>(v) संघ राज्य क्षेत्रों के क्षरण-रोधी और समुद्र क्षरण-रोधी कार्य।<br>(vi) कोसी और गंटुक परियोजनाओं (नेपाल में) के बाढ़ संरक्षण कार्यों का रखरखाव | |
| 5 | सिंचाई गणना | 25.00 | • 33 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 5वीं लघु सिंचाई गणना की एक राष्ट्र स्तरीय रिपोर्ट<br>• छठी लघु सिंचाई गणना से संबंधित तैयारी कार्य- डाटा संग्रहण की नई मेट्रो की पहचान ड्राफ्ट तैयार करने की समय-सारणी राज्यों से टिप्पणियां, वित्तपोषण पद्धति आदि | लघु सिंचाई क्षेत्र में सुविचारित आयोजना और नीति निरूपण। |
| 6 | पोलावरम बह-उद्देश्यीय परियोजना | #<br>(नाबार्ड में वित्तपोषण के जरिए बाद में निर्णय लिया जाएगा) | बांध का निर्माण: 40%<br>दाएं तट की नहर का निर्माणः 8९<br>बाएं तट की निर्माणः 7९ | 2,91,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन, 540 गांवों में 28.50 लाख की आबादी के लिए पेयजल की आपूर्ति, कृष्णा नदी बेसिन को 80 टीएमसी पानी की उपलब्धता |
| 7 | फरक्का बांध परियोजना | 155.00 | फरक्का बांध और इससे जुड़े ढांचों का संचालन और रखरखाव | भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली बेहतर नौगम्यता। गंगा जल संधि, 1996 का अनुपालन |
| 8 | बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम | 160.00 | • बांध सुरक्षा क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों का समग्र प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण<br>• बांध सुरक्षा क्षेत्रों में क्षमता निर्माण | • चुनिंदा विद्यमान बांधों और संबंधित<br>• जल संसाधन कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण<br>• बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों का मानकीकरण |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | • बांध सुरक्षा साफ्टवेयर 'धर्मा' के शेष माड्यूलों का विकास<br>• बांध सुरक्षा पर छह राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>• बांध सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों पर 4 दिशानिर्देशों को अंतिम रूप<br>• चल रहे डीआरआईपी कार्यों का तीसरे पक्ष द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण | |
| 9 | नदी तटों के सौंदर्य के लिए घाट निर्माण कार्य | 100.00 | चिन्हित क्षेत्रों में नदी तटों का विकास और सौन्दर्यीकरण | नदी तटों का सौन्दर्यपरक सुधार और दर्शकों की अधिक संतुष्टि। |
| 10<br>11 | राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना<br>राष्ट्रीय गंगा योजना | 25.00 | • 416.3 एमएलडी शोधन क्षमता के 16 नए मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना<br>• 386 एमएलडी शोधन क्षमता हासिल करने के लिए मलजल शोधन संयंत्रों का जीर्णोद्धार<br>• 155 घाटों और 49 शवदाहगृहों का निर्माण | • नदी के प्रदूषण के स्तर में कमी<br>• गंगा नदी में अविरल धारा और निर्मल धारा |
| 12 | राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन | 15.00 | • 24 राज्यों के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाओं की तैयारी<br>• राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यरो की स्थापना | (i) पानी के किफायती इस्तेमाल में वृद्धि और राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यूरो की स्थापना<br>(ii) जल संसाधनों का सतत प्रबंधन। |
| 13 | जल संसाधन विकास स्कीमों की जांच- राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी | 199.99 | नदियों को जोड़ने की 8 पां और नदियों को जोड़ने की 4 परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/व्यवहार्यता रिपोर्ट/पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट/जल संतुलन अध्ययन रिपोर्ट की तैयारी से जुड़े कार्य। किन-बेतवा लिंक से संबंधित कार्य उन्नत स्तर पर है। | नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजनाओं के पूर्ण होने से अतिरिक्त पानी वाले क्षेत्रों से पानी की कमी वाले क्षेत्रों को पानी पहुंचाने में सुविधा। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | जल संसाधन विकास स्कीमों की जांच- केन्द्रीय जल आयोग | | पूर्वोत्तर राज्यों में 4 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए डीपीआर की तैयारी की जांच और बरसार जल विद्युत परियोजना की एक डीपीआर का कार्य पूर्ण। | डीपीआर में शामिल परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के बाद जल संसाधनों से विद्युत उत्पादन |
| 15 | ब्रह्मपुत्र बोर्ड | | • बाढ़ और क्षरण-रोधी 6 कार्यों का निष्पादन<br>• जल निकास के विकास की 6 चल रही और 4 नई परियोजनाओं का निष्पादन<br>• 2 नई नदी घाटी मास्टर योजनाओं की तैयारी और 6 पुरानी योजनाओं को अद्यतन किया जाना | • मजूली द्वीप और अन्य क्षेत्रों की बाढ़ और कटाव से सुरक्षा।<br>• 26.01 वर्ग कि.मि. को लाभ होगा और 43.30 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को जल निकासी की समस्या से मुक्त किया जाएगा।<br>• 38.10 वर्ग कि.मी. कृषि भूमि का सुधार । |
| 16 | बाढ़ की पूर्व-चेतावनी | 65.00 | बाढ़ की पूर्व-चेतावनी देने वाले मौजूदा 275 केन्द्रों और 843 बेस केन्द्रों से बाढ़ की पूर्व-चेतावनी जारी करना। | • बाढ़ की पूर्व-चेतावनी का समय पर प्रेषण<br>• बाढ़ की घटनाओं और बाढ़ से होने वाली क्षति में कमी। |
| 17 | जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास | 145.00 | • 878 पुराने स्थलों + 800 नए स्थलों पर जलीय पर्यवेक्षण और आंकड़ों का संग्रहण जारी रखना और 135 नए एचओ स्थल खोलना।<br>• 40 जलाशयों में टेलीमेट्री प्रणाली की स्थापना। | • 120 जलाशयों में प्रत्यक्ष भंडारण की निगरानी<br>• सुविचारित नियोजन और नीति निरूपण के लिए विश्वसनीय एवं मजबूत डाटा बेस तैयार करना |
| 18 | भूमिगत जल प्रबंधन और नियमन | 500.00 | जल क्षेत्र योजना तैयार किय 4.04 लाख वर्ग कि.मी.<br>25584 कूपों के जरिए भूमिगत जल स्तर और गुणवत्ता की निगरानी | • देश में सतत भूमिगत जल संसाधन प्रबंधन।<br>• कृत्रिम रिचार्ज के जरिए गिरते जल स्तर को रोकना<br>• भूमिगत जल संसाधनों के प्रयोग के बारे में बेहतर जागरूकता। |
| 19 | राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना | 360.00 | राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केन्द्र की स्थापना<br>हाइड्रो मेट उपकरणों की खरीद और स्थापना<br>3 बेसिनों के लिए नदी घाटी मूल्यांकन और आयोजना | (i) देश में निम्नलिखित के माध्यम से बेहतर जल-संसाधन प्रबंधनः<br>• बाढ़ की बेहतर पूर्व-चेतावनी,<br>• बेहतर जल-संसाधन मूल्यांकन एवं आयोजना।<br>(ii) देश में हाइड्रो मेट और स्थानिक आंकड़ों का बेहतर संग्रहण, संकलन, भंडारण और प्रसार। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | जल संसाधनों में अनुसंधान एवं विकास | 40.00 | 200 तकनीकी रिपोर्टों, 240 शोध-पत्रों का प्रकाशन और 34 कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों का आयोजन। | • प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध-पत्रों की संख्या में वृद्धि<br>• जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना |
| 21 | सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम | 0.01 | जल क्षेत्र में सुधार कार्य चलाने के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहन। | जल-संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए जल-क्षेत्र सुधार। |
| 22 | एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम, राष्ट्रीय जल अकादमी, आरजीआई - भूमिगत जल, जल संसाधन मंत्रालय और आईईसी में मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण | 25.00 | • 511 प्रशिक्षण कार्यक्रम।<br>• आईईसी - मल्टीमीडिया अभियान और<br>• 15 कार्यशालाएं तथा 3 संगोष्ठियां,<br>• प्रायोजित कार्यक्रम और बाह्य प्रच<br>• लगभग ारियों को प्रशि | भूतल और भूमिगत जल प्रबंधन में क्षमता निर्माण, जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना। |
| 23 | अवसंरचना विकास | 45.00 | • केन्द्रीय जल आयोग - हटमेंट्स के लिए भूमि का अधिग्रहण, 6 अलग-अलग स्थानों और मुख्यालयों में कार्यालय-सह-आवासीय भवनों का निर्माण<br>• केन्द्रीय भू-जल बोर्ड - विभिन्न स्तरों पर 8 कार्यालयों का निर्माण कार्य। | कार्यालयों में कार्य करने का बेहतर माहौल |
| | **उप-जोड़ केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें** | **4424.96** | | |
| | **जोड़ (केन्द्र प्रायोजित स्कीमें तथा केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें )** | **6024.96** | | |

*****